हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर – 37 / 2018 उनवान सावरमल बनाम सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
12.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना–पत्र वकील प्रार्थी का मौखिक तौर पर सुना गया। वकील प्रार्थी ने कथन किया है कि प्रार्थना–पत्र बाबत मौका रिपोर्ट प्राप्त के अनुसार प्रार्थी का नाम रिकार्ड मे दुरूस्त कर आदेश पारित किया जाना न्याय संगत है। हमने प्रार्थना–पत्र मे वर्णित तथ्यो व मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी मे वर्णित तथ्यो का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार हल्का पटवारी माखर व हल्का गिरदावर इस्लामपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम सांवरमल पुत्र रामलाल शुद्ध किया जाना उचित बताया गया है व सरपंच ग्राम पंचायत माखर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिनांक 25.03.2018 के अनुसार श्योबक्स उर्फ सावरमल पुत्र रामलाल निवासी रतनशहर का रहने वाला श्योबक्स उर्फ सावरमल एक ही व्यक्ति होना अपने प्रमाण–पत्र मे अंकित किया है। उपर्युक्त सभी तथ्यों व मौका जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी व हल्का गिरदावर के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण मे ग्राम अशोक नगर की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या पुराना 194 के नये खाता संख्या 203 मे अशुद्ध प्रविष्टि श्योबक्स पुत्र रामलाल के स्थान पर सावरमल पुत्र रामलाल शुद्ध करने के आदेश दिये जाते है। आदेश प्रति तहसीलदार झुंझुनू को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू	

Scanned by CamScanner